न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
उदीबाई बनाम जगदीश
GCMS No- 2022/437
प्रकरण संख्या 10 / 2022

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण सं. 10 / 2022 अपील
GCMS NO.- 2022/437

1. मु0 उदी बाई पुत्री मांगु जी पत्नि उदयलाल ढोली, निवासी सतखण्डा, हाल मुकाम सिंगोली जिला नीमच मध्य प्रदेश
2. श्रीमती कमला पुत्री मांगु जी पत्नि हरलाल जी जाति ढोली, उम्र वयस्क, निवासी सतखण्डा, हाल मुकाम मल्हारगढ, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश

अपीलांट

बनाम

1. जगदीश पिता अम्बालाल जी ढोली मृतक के बजाय
   1/1 महावीर पिता जगदीश जी ढोली, निवासी सतखण्डा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तोडगढ राज
2. घनश्याम पिता अम्बालाल जी ढोली, उम्र वयस्क निवासी सतखण्डा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ राज.
3. भंवरलाल पिता मांगू जी ढोली, मृतक के बजायः–
   3/1 पुरुषोत्तम लाल पिता भंवरलाल जी ढोली, निवासी सतखण्डा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ राज.
4. मन्नालाल पिता मांगू जी ढोली, निवासी सतखण्डा, तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज
5. ग्राम पंचायत सतखण्डा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ राज
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तोडगड राज –

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 24.07.1977 ग्राम पंचायत सतखण्डा, प्रकरण सख्या 03/ 2012, अपील निर्णय दिनांक 13.09.2017

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी</u> दिनांक 14/9/23

1. प्रार्थी श्री कैलाशचन्द्र पिता उंकारलाल आंजना की और से अधिवक्ता श्री राकेश पुरी गौस्वामी ने अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 153 दिनांक 24.07.1977 ग्राम पंचायत सतखंण्डा में न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 3/2012 अपील में हुए निर्णय दिनांक 13.09.2017 के विरूद्ध धारा 151 जाब्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मेहमूदगंज की आराजी नम्बर 135/203 रकबा 5 बीघा भूमि मांगू पिता भूरा ढोली की थी। मांगू जी की मृत्यु उपरांत मांगू जी के पुत्रों ने विरासतीय नामन्तकरण अपने नाम खुलवा लिया एवं पुत्रियों को अपने हक से वंचित कर दिया जिसकी जानकारी दिनांक 04.01.2012 को होना बता कर अपील प्रस्तुत की ... र रहने से एक तरफा सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार ... रण संख्या 153 दिनांक 24.07.1977 निरस्त करते हुए प्रकरण ... प्रति प्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया गया जो ... विरूद्ध एवं ... के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:14:50 IST
Reason: SelfAttested

2. वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट को जरिए सूचना पत्र तलब किया गया । अपीलान्ट की और से अधिवक्ता श्री मदनलाल चपलोत उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सख्या 3/1 की और से अधिवक्ता हिना खान ने वकालतनामा पेश किया किन्तु बाद मे पेशी पर उपस्थित नही होने से एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स भी उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

अपीलांट उदीबाई, कमलाबाई द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि–
ग्राम पंचायत रातखंडा के नामांतरण संख्या 153 दिनांक 24/07/1977 खोले गये नामांतरण की अपील माननीय न्यायालय में पेश की थी जिसके नम्बर 03/2012 अपील हैं, जो दिनांक 13/09/2017 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय देने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही पेडिंग नही है इसलिए प्रार्थी कैलाशचन्द्र को माननीय न्यायालय आप के निर्णय
दिनांक माननीय 13/09/2017 के निर्णय प्रकरण में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही हैं क्योंकि प्रकरण का निर्णय दिनांक 13/09/2017 को होने के पश्चात कोई भी प्रक्रिया बाकी नही रही थी इसलिए प्रार्थी कैलाशचन्द्र का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है मेन्टेबल नही हैं। आराजी नं0 135/203 रकबा 45 बीघा सेटलमेन्ट पश्चात नवीन नम्बर 314 व 315 कुल किता 2 रकबा 1.2600 हेक्टेयर हैं। यह आराजियात मांगु पुत्र भुराजी धोबी की खातेदारी की थी यह जमीन मांगुजी के पिताजी भुराजी के जमाने से चली आ रही थी, मागुजी पिता भुराजी जो अपीलांट के पिता हैं उनके देहान्त होने के बाद विरासत का नामांतरणकरण उनके पुत्र अम्बालाल, भंवरलाल, मन्नालाल, रामेश्वरलाल के नाम पर खोल दिया गया तथा मांगुजी की पुत्रीयों उदीबाई, कमलाबाई की जानकारी के बिना नामांतरणकरण खुलवा लिया गया जिसकी जानकारी होते ही उदीबाई, कमलाबाई ने नामांतरण की अपील माननीय न्यायालय में पेश की, माननीय न्यायालय ने विधिवत सुनवाई कर यह नामांतरण की अपील की सुनवाई का अधिकार भू राजस्व अधिनियम के तहत लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर को है, और लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर चित्तौडगढ के अधिकार उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा को जिलाधीश चित्तौडगढ द्वारा यह अधिकार डेलिकेट किये हुये हैं। इन्ही अधिकारों के तहत माननीय न्यायालय ने अपील की सुनवाई कर विधिवत निर्णय पारित किया, इसलिए प्रार्थी का यह कथन की माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही हैं, यह मानने योग्य नही है। नामांतरणकरण संख्या 153 दिनांक 24/07/1977 ग्राम पंचायत रातखंडा द्वारा निर्णित किया गया क्योंकि वह नामांतरण की सुनवाई में पक्षकार नही थी, उसमें उदी बाई कमलाबाई को सुनवाई का अवसर नही दिया गया वह पक्षकार नहीं थी, जैसे ही उसकी जानकारी नामांतरण की होते ही अपील पेश की गई अपील और अपीलांट द्वारा धारा 5 साक्ष्य अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया उसमें मियाद विलम्ब को क्षम्य करने का आवेदन प्रस्तुत किया जिसको माननीय न्यायालय ने देरी को क्षम्य किया और क्षम्य करते हुवे अपील अपीलांट स्वीकार की गई इसलिए इस स्टेज पर इस प्रार्थना पत्र द्वारा दुवारा मियाद के बिन्दु पर किसी ऐसे पक्षकार द्वारा जो इस प्रकरण मे पक्षकार नही हो नही उठाया जा सकता है ना ही न्यायालय किसी भी स्टेज पर अब यह आपत्ति अब नही उठाई जा सकती है, तथा उक्त आदेश धारा 76 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत अपीलीय आदेश हैं। इस न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया जिसकी अपील संभागीय आयुक्त उदयपुर में की जा सकती हैं। इस प्रकार इस चरण में वर्णित सम्पूर्ण तथ्य अस्वीकार हैं।

II. आवेदन पत्र की चरण संख्या का उत्तर यह है कि विरासत के नामांतरणकरण व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अस्सिटेन्ट लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर या ग्राम पंचायत के स्तर पर खोले जाते है जिसकी अपील लैण्ड ऑफिसर के पास होती है और लैण्ड ऑफिसर ने अपने अधिकार माननीय उपखंड अधिकारी महोदय निम्बाहेडा को डिलीकेट कर रखे हैं इसमें घोषणा का मामला नही बनता है क्योंकि मृतक मांगीलाल की पुत्रियां प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी हैं, मात्र यह बिन्दु माननीय न्यायालय के सम्मुख था कि मांगु पिता भुराजी की अपीलांट लडकिया है जिनका विरासत से नामांतरण करण खुलना चाहिए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासत के नामांतरण में लडकियों का ... होता है इसलिए इसमें घोषणा का कोई मतलब नही हैं, तथा यह विन्दु किसी ... व्यक्ति द्वारा नहीं उठाया जा सकता हैं और ना ही जो निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा ... दिनांक 13/09/2017 को करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही शेष नही रही हैं, इसलिए निर्णय होने के बाद दुवारा सुनवाई का माननीय न्यायालय को अधिकार नही है इसकी केवल अपील हो सकती है। जिसका क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त उदयपुर को हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:14:50 IST
Reason: SelfAttested

III. माननीय न्यायालय में जो अपील पेश की थी उसमें माननीय न्यायालय को यह देखना था कि मांगुजी के सभी वारिसानो के नाम पर नामांतरण खोला गया की नहीं माननीय न्यायालय ने समूचित सुनवाई कर वैधानिक वारिस लडकियों को नहीं सुनकर उनके नाम पर नामांतरण नही खोला इसलिए उनके नामांतरण को 13/09/2017 को निरस्त कर दिया उक्त प्रकरण

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

में कोई कार्यवाही शेष नही हैं अब दुबारा सुनवाई करने का माननीय न्यायालय को अधिकार नहीं हैं।

नामांतरण संख्या 153 मे सिर्फ मांगु ढोली के विरासत के बाबत निर्णय के खिलाफ उनकी लड़कियों ने अपील की थी. चूंकि प्रार्थी मांगु ढोली का वारिस नही था इसलिए उसको पक्षकार बनाने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया जो धारा 151 जा०दी० के प्रार्थना पत्र मे लागु नहीं होता है क्योंकि यह अपील नही हैं। इसलिए उक्त सम्पूर्ण चरण अस्वीकार हैं। प्रार्थी इस न्यायालय के निर्णय 13/09/2017 को निरस्त कराने का अधिकारी नही हैं, क्योंकि प्रार्थी मांगुजी ढोली का वारिस नहीं हैं, जहां तक धारा 151 जा०दी० का प्रश्न है इस प्रकरण में लागु नही होता हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अनुसार उसकी द्वितीय अपील की जा सकती है जो संभागीय आयुक्त उदयपुर में होती है इसलिए यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जाने की कृपा करावें ।

4. प्रार्थी कैलाशचन्द्र आंजना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. में लिखित बहस में निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत किया गयाः–

I. उदी बाई, कमला बाई द्वारा ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा दिनांक 24.07.1977 को खोले गये नामान्तकरण संख्या 153 की अपील प्रस्तुत की गई कि मेहमूद गंज की आराजी नम्बर 135/203 रकबा 5 बीघा भूमि मांगू पिता भूरा ढोली की थी। मांगू जी का विरासती नामान्तकरण पुत्रों के नाम खोला गया एवं पुत्रियों को हक से वंचित कर दिया जिसकी जानकारी दिनांक 04.01.2012 को होना बता कर 35 वर्ष बाद नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत कर नामान्तकरण संख्या 153 दिनांक 24.07.1977 को निरस्त करवा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का आदेश गुपचुप तरीके से प्राप्त कर लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 135/203 रकबा 5 बीघा के सेटलमेंट के पश्चात नवीन नम्बर 314 315 किता 02 कुल रकबा 1.26 हैक्टर कायम हुए उपरोक्त आराजियात को रेस्पोडेन्ट संख्या 04 के अलावा सभी खातेदारान ने बगदू पिता घासीलाल, उदा पिता डालू, नाना पिता डालू उंकार पिता काना, शंकर पिता भुवाना बलाई, मांगू पिता हंसा, हजारी पिता केरिंग चमार, हेमराज पिताकेशराम, बोतलाल पिता खेमा, मोहन पिता लक्ष्मण चमार, मांगीलाल पिता नारायण,उदयलाल पिता भैरूलाल बलाई को क्रय कर दी एवं राजस्व रेकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज रेकार्ड रहे है। उपरोक्त आराजियात आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो चुकी एवं प्रार्थी कैलाशचन्द्र द्वारा 971.80 वर्गगज का भूखण्ड हेमराज पिता केशुराम चमार से जरिये पंजीकृत क्रय पत्र दिनांक 23.11.1992 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया एवं सम्पूर्ण भूमि फर्दन फर्दन विक्रय हो चुकी है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा दूर्मि संधि करते हुए न्यायालय को गुमराह कर अंधेरे में रखते हुए आवासीय भूमि के संबंध में गलत निर्णय पारित करा दिया।

II. अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स को सभी तथ्यों की जानकारी थी, खातेदार परिवर्तित हो चुके थे, भूमि भी कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो चुकी थी. अपीलांट द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत करने पर वर्तमान जमाबंदी प्रस्तुत कर खातेदारान को पक्षकार कायम करना आवश्यक होता है, इस कारण 35 वर्ष बाद मात्र नामान्तकरण की नकल प्रस्तुत कर धोखे से न्यायलाय से निर्णय पारित करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने से लगभग 20 वर्ष पूर्व प्रार्थी उपरोक्त आराजियात का मालिक बन गया एवं भूमि की किस्म भी परिवर्तित हो [illegible] स्थिति में प्रार्थी को बिना सूने जो निर्णय धोखे से न्यायालय को गुमराह कर [illegible]त [illegible]या है वह निरस्त किये जाने योग्य है। उच्चतम न्यायालय ने [illegible] राजेन्द्रसिंह मामले में कहा कि धोखा व न्याय एक साथ नही रह सकते है। [illegible] प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 की परिभाषा सरल हिन्दी में जब किसी विधि में परिसीमा की अवधि समाप्त हो जाये तब न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15[illegible] के अन्तर्गत ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगी जो पक्षकार के न्यायहित में होगी। यानि न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले दुरूपयोग को रोकने एवं यदि धोखे से किसी पक्षकार ने डिक्री, आदेश प्राप्त कर लिया है. उसे रोकने के लिए इस धारा का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते है। इस प्रकार यदि पक्षकारान द्वारा धोखे से न्यायालय द्वारा कोई डिक्री या आदेश पारित करवा लिया जाता है तो न्यायालय को धारा 151 जा.दी में ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वो उस डिक्री या आदेश को निरस्त कर सकता है। उपरोक्त प्रकरण में भी पक्षकारान अपीलांट द्वारा न्यायालय को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:14:50 IST
Reason: SelfAttested

धोखे में रखकर आदेश पारित करवा लिया है इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा.दी. स्वीकार किये जाने योग्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने कई निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि धोखाधडी से प्राप्त आदेश, निर्णय, डिक्री कानून की नजर में अमान्य है, जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है।

III. उपरोक्त प्रकरण में भी न्यायालय को धोखे में रखकर आदेश पारित करवाया है। क्योंकि प्रकरण से संबंधित मूल दस्तावेजों को छिपाना, न्यायालय से धोखाधडी की श्रेणी में आता है। अपीलांट द्वारा अपील मेमो में सभी तथ्यों को छिपाते हुए नामान्तकरण की नकल के साथ सम्वत 2022 से 2025 की नकल प्रस्तुत की, जबकि अपीलांट को वर्तमान जमाबंदी एवं मिलान खसरा आदि प्रस्तुत करने चाहिए थे न्यायालय से आदेश पारित कराने के बाद तहसीलदार के यहां 6 वर्ष बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही जानबुझ कर नहीं करवाई, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी से अनुचित लाभ प्राप्त करने की खातिर सारी कार्यवाही अमल में लाई गई। भूमि पर कब्जा भी अपीलांट का कभी भी नहीं रहा। अपीलाट की ओर से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया उसमें यह कहीं भी वर्णित नहीं किया कि वर्तमान जमाबंदी क्यो प्रस्तुत नहीं की गई और वर्तमान में जो खातेदार है उन्हें पक्षकार कायम क्यों नहीं किया गया। क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि वादग्रस्त आराजियात से संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अपीलांट्स की ओर से इस प्रकरण में प्रस्तुत जवाब में यह भी कथन किया गया कि घोषणा के वाद की आवश्यकता नही है। जबकि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आर.आर.टी 2019 पेज 392 में यह कहा है कि विधि एवं तथ्यों के कई प्रश्न अन्तवर्णित होते है और यह नामान्तकरण की अपील में डिसाईड नही हो सकते, यह प्रश्न केवल वाद में निर्णित किये जा सकते है, ऐसी स्थिति में न्यायालय को धारा 151 सीपीसी के तहत पूर्ण शक्ति प्राप्त है कि यदि धोखे से कोई आदेश प्राप्त किया है तो उसे किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

5. अपीलान्ट उदीबाई, कमला बाई की ओर से मदनलाल चपलोत ने जवाब लिखित बहस प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

I. अपीलान्ट उदी बाई, कमला बाई द्वारा ग्राम पंचायत सतखण्डा के नामांतरण सं0 153 दिनांक 24.07.1977 खोले गये नामांतरण की अपील माननीय न्यायालय में पेश की थी, जिसके नम्बर 03/2012 अपील है, जो दिनांक 13.09.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर विधिवत न्याय निर्णय देने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही पेन्डीग नही है। इसलिये प्रार्थी कैलाश चन्द्र को माननीय न्यायालय आपके निर्णय दिनांक 13.09.2017 के निर्णय प्रकरण में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, क्यों कि प्रकरण का निर्णय दिनांक 13.09.2017 को होने के पश्चात कोई भी प्रक्रिया बाकी नहीं रही थी. इसलिये प्रार्थी कैलाश चन्द्र का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है, मेन्टेबल नही है। आराजी नं0 135/203 रकबा 5 बीघा सेटलमेन्ट के पश्चात नवीन नम्बर 314 व 315 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2600 हेक्टेयर है, यह आराजी मांगू पुत्र भूरा जी ढोली की खातेदारी की थी, यह जमीन मांगू जी के पिता जी भूरा जी के जमाने से चली आ रही थी, मांगू जी पिता भूरा जी जो अपीलान्ट के पिता है, देहान्त होने के बाद विरासत का नामांतरण उनके पुत्र अम्बालाल, भंवरलाल, मन्नालाल, रामेश्वरलाल के नाम खोला गया था तथा मांगू जी की पुत्रीया उदी बाई व कमला बाई की जानकारी के बिना नामांतरण करण खुलवाया गया, जिसकी जानकारी होते ही उदी बाई, कमला बाई ने नामांतरण की अपील माननीय न्यायालय में पेश की माननीय न्यायालय ने विधिवत सुनवाई कर यह नामांतरण अपील की सुनवाई का अधिकार भू राजस्व अधिनियम के तहत लेण्ड रिकार्ड ऑफीसर को है लेण्ड रिकार्ड आफीसर चित्तौडगढ के अधिकार उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा को जिलाधीश चित्तौडगढ द्वारा यह अधिकार डेलिकेट किये हुऐ है इन्ही अधिकारो के तहत माननीय न्यायालय ने अपील की सुनवाई कर विधिवत निर्णय पारित किया, इसलिए प्रार्थीगण का यह कथन कि माननीय न्यायालय को क्षत्राधिकार नही था मानने योग्य नही है। माननीय न्यायालय ने सही निर्णय किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:14:50 IST
Reason: SelfAttested

II. उदी बाई, कमला बाई को कोई जानकारी नही थी, उन्होने तो पटवारी के यहां कागज देखे नकले ली और अपील की, नकलो में प्रार्थीगण का नाम नही था। इसलिये धोखा देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। तथा नामांतरण सं0 153 दिनांक 24.07.1977 ग्राम पंचायत

सतखण्डा द्वारा निर्णित किया गया था, क्योकि उक्त नामांतरण की सुनवाई में पक्षकार नही थी. उसमें उदी बाई कमला बाई को सुनवाई का अवसर नही दिया गया वह पक्षकार नही थी, जैसे ही उसे जानकारी नामांतरण की होते ही अपील पेश की गई अपील और अपीलान्ट द्वारा धारा 05 साक्ष्य अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें मियाद विलम्ब को क्षम्य करने का प्रार्थना पत्र पेश कियागया उसमें मियाद विलम्बा को क्षम्य किया और क्षम्य करते हुऐ अपील अपीलान्ट स्वीकार की गई, इसलिये इस स्टेज पर इस प्रार्थना पत्र द्वारा दुबारा मियाद के बिन्दु पर किसी ऐसे पक्षकार द्वारा जो इस प्रकरण में पक्षकार नही हो नही उठाया जा सकता है, ना ही न्यायालय किसी भी स्टेज पर अब यह आपत्ति अब नही उठाई जा सकती है, तथा उक्त आदेश धारा 76 लेण्ड रैवेन्यु एक्ट के तहत अपीलीय आदेश है। इस न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है जिसकी अपील संभागीय आयुक्त उदयपुर में की जा सकती है, इस प्रकार इस चरण में वर्णित सम्पूर्ण तथ्य अस्वीकार है।

III. विरासत के नामांतरण व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत असिस्टेण्ड लेण्ड रेकार्ड आफिसर या ग्राम पंचायत के स्तर पर खोले जाते है जिसकी अपील लैण्ड ऑफिसर के पास होती है, और लैण्ड ऑफिसर ने अपने अधिकार माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय निम्बाहेडा को डिलीकेट कर रखे है, इसमें घोषणा का मामला नही बनता है, क्योकि मृतक मांगीलाल की पुत्रिया प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है, मात्र यह बिन्दु माननीय न्यायलय के सम्मुख था कि मांगु पिता भुरा जी की अपीलन्ट लडकिया है जिनका विरासत से नामांतरण खुलना चाहिऐ हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासत के नामांतरण में लड़के व लड़कियों का समान हक होता है इसलिऐ इसमें घोषणा का कोई मतलब नही है तथा यह बिन्दु किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा नहीं उठाया जा सकता है और ना ही जो निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपील में दिनांक 13.09.2017 को करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही शेष नही रही है, इसलिये निर्णय होने के बाद दुबारा सुनवाई का माननीय न्यायालय को अधिकार नही है, इसकी केवल अपील हो सकती है। जिसका क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त उदयपुर को है।उक्त रूलिंग इस प्रकरण में लागू नहीं होती है तथा सविविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार अपीलान्ट ने कोई गलती नहीं की है, जो वैधानिक वारिस थे उन्हें पार्टी बनाया और उक्त निर्णय अपीलीय आदेश है जिसकी अपील संभागीय आयुक्त में की जा सकती थी, परन्तु प्रार्थी ने इसकी अपील नहीं की और गलत तरीके से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। माननीय न्यायालय को यह देखना था कि मांगू जी के सभी वारिसान के नाम पर नामांतरण खोला गया या नहीं माननीय न्यायालय ने सुनवाई कर वैधानिक वारिस लडकीयों को नही सुन कर उनके नाम पर नामांतरण नहीं खोला इसलिये उनके नामांतरण को 13.09.2017 को निरस्त कर दिया उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। दोबारा सुनवाई करने का माननीय न्यायालय को अधिकार नहीं है। तथा नामांतरण सं0 153 में सिर्फ मांगू जी ढोली के विरासत के बाबत निर्णय के खिलाफ उनकी लडकीयों ने अपील की थी चुकि प्रार्थी मांगू जी ढोली का वारीस नही थी इसलिये उसको पक्षकार बनाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। इसलिये प्रार्थी द्वारा लिखित बहस में गलत तथ्य अंकित किये है। जो प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने लगा वह खारीज होने योग्य है।

<u>विशेष बहस उदी बाई, कमला बाई की और निम्न प्रकार पेश हैः–</u>

I. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में आर आर टी 2023 (1) पेज 409 एस. मुरली सुन्दरम/बनाम/चोथीबाई [illegible] के निर्णय में दिनांक 24.02.2023 को यह प्रतिपादीत किया कि रिव्यू बोर्ड अपीलिये [illegible] के रूप में नहीं बैठ सकता न ही रिव्यू अधिकारीता की आड़ में [illegible] है प्रश्नगत रिव्यू एक अपील नही है. रिव्यू की शक्ति का उपयोग [illegible] पर प्रत्यक्ष [illegible] सही करने हेतु किया जा कसता है न कि मत को प्रतिस्थापित [illegible] कोर्ट निर्णय को पुनः नहीं लिख सकता उच्च न्याया[illegible] बढा दोषपूर्ण निर्णय भी रिव्यू की शक्ति का उपयोग करने हेतु आधार नहीं हो सकता–निर्णित, आदेश अपास्त किया।बी– इसी प्रकार वर्ष 2022 (1) आर आर टी पेज 346 मिठूलाल सेनी/बनाम/स्टेट आदि में यह प्रतिपादीत किया कि नजरसानी की आड में प्रकरण की पुनः सुनवाई अनुज्ञेय नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:14:50 IST
Reason: SelfAttested

II. धारा 151 जा०दी० व 152 जा०दी० के अन्तर्गत केवल लिपिकिय भूल, गणितिय त्रुटी को सही किया जा सकता है, विधि के प्रावधानो को निष्फल करने हेतु धारा 151 जा०दी० का उपयोग

नही किया जा सकता है, क्यों कि उक्त आदेश धारा 76 ले०रे०एक्ट के तहत अपीलिय आदेश है इस न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया जिसकी अपील संभागीय आयुक्त उदयपुर में की जा सकती थी, परन्तु प्रार्थी ने अपील नहीं की और गलत तौर से यह प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा वर्ष 2018 (2) आर आर टी पेज नं0 1022 में यह प्रतिपादीत किया कि सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 151 व 152 व्यापि अपीलें खारिज की तर्क कि अपीलान्ट वार्षिक वृत्ति पाने का निर्णय दिनांक 07.08.1985 द्वारा हकदार माना गया है तथा अन्तिम हुआ इसलिये अपील स्वीकार की जाना चाहिये धारा 152 सी०पी०सी० के अन्तर्गत केवल लिपिकीय भूल तथा गणितीय त्रुटी को सही किया जा सकता है, विधि के प्रावधानो को निष्फल करने हेतु धारा 151 सी०पी०सी० का उपयोग नही किया जा सकता है।इसी प्रकार 2022 (2) आर आर टी 1348 में यह निर्णित किया गया कि रिव्यू का सिमित परिक्षेत्र है। नामांतरण की अपील में प्रार्थी पक्षकार नही था इसलिये उसे पुनः अवलोकन याचिका पेश करने में सक्षम नहीं है, ऐसा दृष्टांत मानीय रेवेन्यू बोर्ड द्वारा वर्ष 2012 (2) पेज 1119 में प्रतिपादीत किया गया है। अतः निवेदन है कि जवाब बहस न्यायिक दृष्टांत के साथ पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वयय खारिज फरमाया जावे।

6. प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ता उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी पर बहस सुनी गई। विद्धवान अधिवक्ता उभय पक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त सारांश यह कि अपीलान्ट उदीबाई एवं कमला ने ग्राम पंचायत सतखण्डा के नामान्तरकरण संख्या 153 दिनांक 24.07.1977 के विरुद्ध एक अपील न्यायालय हाजा में रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध प्रस्तुत की जो न्यायालय हाजा ने अपीलान्ट की अपील दिनांक 13.09.2017 को स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सतखण्डा का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 153 दिनांक 24.07.1977 को निरस्त किया गया। पत्रावली तहसीलदार निम्बाहेड़ो को रिमाण्ड कर आदेश दिये गये कि मृतक मांगु पिता भूरा ढोली की ग्राम मेहमूदगंज की साबिक आराजी नम्बर 135/203 रकबा 5 बीघा के सम्बन्ध में मांगु के सभी वारिसान की पूर्ण जांच कर, सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए, मौके एवं रेकार्ड की पूर्ण जांच कर नियमानुसार विरासत का नामान्तरकरण निर्णित किया जावें। प्रार्थी कैलाशचन्द्र पिता उंकारलाल जाति आंजना निवासी नरसाखेड़ी ने न्यायालय हाजा में उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण 03/2012 अपील में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण में पुनः सुनवाई के आदेश प्रदान किये जावें। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 03/2012 अपील का निर्णय दिनांक 13.09.2017 को किया जा चुका है। इसलिए उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाहीं न्यायालय हाजा से अपेक्षित नहीं है।इसलिए निर्णय होन के बाद सुनवाई का अधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं है। धारा 151 जा०दी० व 152 जा०दी० के अन्तर्गत केवल लिपिकिय भूल, गणितिय त्रुटी को सही किया जा सकता है, विधि के प्रावधानो को निष्फल करने हेतु धारा 151 जा०दी० का उपयोग नही किया जा सकता है,प्रार्थी उक्त प्रकरण की अपील सक्षम न्यायलय में करने के लिए स्वतंत्र है। अतः उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रार्थी श्री कैलाशचन्द्र पिता उंकारलाल आंजना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी श्री कैलाशचन्द्र पिता उंकारलाल आंजना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी खारिज किया जाता है। प्रकरण [illegible] नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:14:50 IST
Reason: SelfAttested

14/9/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा